अनुदान संख्या 63 – खान मंत्रालय
GRANT No. 63–MINISTRY OF MINES

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*10,00*		*4,75,00*	*4,78,17*	*+3,17*
पूरक	*Supplementary*	*4,65,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	362,97,00		487,96,00	457,58,98	–30,37,02
पूरक	Supplementary	124,99,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					16,49,57
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	131,95,00		131,96,00	82,88,63	–49,07,37
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					47,53,19

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, यद्यपि मार्च, 2007 में *465.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत *विनियोग* से *3.17 लाख* रु. अधिक हो गया (तथापि, वास्तविक अधिक व्यय *3,16,785* रु. था)। **इस अधिक व्यय को संसद से अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता है।**

अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, although supplementary *appropriation* of *Rs.465.00 lakhs* was obtained in March, 2007, the expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by *Rs.3.17 lakhs* (actual excess was *Rs.3,16,785). **The excess requires regularisation by voting of excess Demands for Grants by the Parliament.***

Excess occurred under the following major head:-

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2853" अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	Major Head "2853" Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	*O.*	*10.00*			
			475.00	*478.17*	*+3.17*
पु.	*R.*	*465.00*			

(I) शीर्ष ''भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - निदेशन तथा प्रशासन - प्रशासनिक सहायता'' के अंतर्गत *3.17 लाख रु.* का अधिक व्यय (*1.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) न्यायालय के निर्णय के कारण हुआ।

(I) Under "Geological Survey of India - Direction and Administration - Administrative Support" - excess of *Rs.3.17 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.10.00 lakhs*) was due to court's judgement.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (3037.02 लाख रु.) दिसंबर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 12499.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 24 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.3037.02 lakhs) constituted 24 percent of the supplementary grants of Rs.12499.00 lakhs obtained in December, 2006 and March, 2007 and 6 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1573.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–1573.00			
मुख्य शीर्ष "2853" अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	Major Head "2853" Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	33838.00			
पू.	S.	12499.00	46247.18	44872.02	–1375.16
पु.	R.	–89.82			

(I) 1573.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1190.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552'' - "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण-निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक सहायता'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "2853'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण'' -

(क) "निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक सहायता'' - 422.84 लाख रु. की बचत (22231.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों भरे न जाने और बिलों को देर से प्रस्तुत किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अन्य व्यय - विभिन्न प्रचालनों पर विविध मुख्य व्यय'' - 259.85 लाख रु. की बचत (865.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पत्रिकाओं के प्राप्त न होने और विभागीय प्रकाशनों के मुद्रण में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "खानों का विनियमन और विकास'' -

(क) "अनुसंधान और विकास - भारतीय खान ब्यूरो'' - 348.53 लाख रु. की बचत (581.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा दो उप-स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "खनिज अन्वेषण - खनिज अन्वेषण निगम लि. द्वारा खनिज अन्वेषण कार्य'' - 300.00 लाख रु. की बचत (1700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(ग) "खनिज अन्वेषण - विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम''- 189.28 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के

(I) Provision of Rs.1573.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.1190.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Geological Survey of India – Direction and Administration-Administrative Support" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2853" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Geological Survey of India" -

(a) "Direction and Administration - Administrative Support" - saving of Rs.422.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.22231.00 lakhs) was due to non-filing up of vacant posts and late submission of bills.

(b) "Other Expenditure-Miscellaneous Major Expenditure on Different Operations" - saving of Rs.259.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.865.00 lakhs) was due to non-receipt of journals and delay in printing of departmental publications.

(B) "Regulation and Development of Mines" -

(a) "Research and Development-Indian Bureau of Mines" – saving of Rs.348.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.581.00 lakhs) was due to non-approval of two sub-schemes by the competent authority.

(b) "Mineral Exploration - Mineral Exploration work by Mineral Exploration Corporation Ltd." – saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1700.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(c) "Mineral Exploration –Science and Technology Programme" – saving of

सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 681.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं और स्कीमों संबंधी स्वीकृतियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुआ।

(घ) ''खान ब्यूरो - भारतीय खान ब्यूरो'' - 227.24 लाख रु. की बचत (3070.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय और जल/विद्युत प्राधिकारियों से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 78.80 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (166.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2853'' - ''खानों का विनियमन और विकास - अन्य व्यय - भारत गोल्ड माइन्स लि. को अनुदान'' के अंतर्गत 6614.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2853'' - ''भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''सर्वेक्षण और मानचित्राण - जमीनी, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण'' - 123.21 लाख रु. का अधिक व्यय (2009.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के समुद्री स्कंध के पोतों के रख-रखाव संबंधी दो तिमाही किस्तों की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(खा) ''खनिज अन्वेषण - आर्थिक खनिज'' - 132.10 लाख रु. का अधिक व्यय (1090.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्वेषण के अधिक कार्यक्रम शुरू किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Rs.189.28 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.681.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to non- finalisation of sanctions for projects and schemes.

(d) "Bureau of Mines – Indian Bureau of Mines" - saving of Rs.227.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3070.00 lakhs) was due to non-receipt of bills from Directorate General of Supplies and Disposals and water/electricity authorities.

(III) Under one head saving of Rs.78.80 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.166.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.6614.00 lakhs under Major Head "2853" - "Regulation and Development of Mines - Other Expenditure - Grants to Bharat Gold Mines Ltd."

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2853" - "Geological Survey of India" - under the following heads: -

(A) "Survey and Mapping - Ground, Aerial and Marine Survey" - excess of Rs.123.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2009.00 lakhs) was due to payment of the two quarterly installments towards the maintenance of vessels of Marine Wing of Geological Survey of India.

(B) "Mineral Exploration - Economic Minerals" - excess of Rs.132.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1090.00 lakhs) was due to undertaking of more exploration programmes.

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	322.00	1.00	. .	–1.00
पु.	R.	–321.00			
मुख्य शीर्ष "4853" अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4853" Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	10373.00	5941.81	5788.63	–153.18
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–4432.19			

(I) 333.00 लाख रु. का प्रावधान (दिसंबर, 2006 में प्राप्त किए गए एक शीर्ष के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 322.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "4552" - "खनिज अन्वेषण तथा विकास - अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" -141.00 लाख रु.।

(खा) "भारतीय खान ब्यूरो" - 181.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4853" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(I) Provision of Rs.333.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head obtained in December, 2006) remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.322.00 lakhs accounted for under the Major Head "4552" - "Mineral Exploration and Development - Other Expenditure" – under the following heads:-

(A) "Geological Survey of India" - Rs.141.00 lakhs.

(B) "Indian Bureau of Mines" - Rs.181.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4853" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''खनिज अन्वेषण तथा विकास - अन्य व्यय - पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण'' - 4532.79 लाख रु. की बचत (7361.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर योजना प्रावधान में कटौती किए जाने, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से बिलों के प्राप्त न होने तथा साख पत्रों के माध्यम से खोले गए भंडारों के पोतारोहण में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) ''अलौह धातुएं - सार्वजनिक क्षेत्रा के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - हिंदुस्तान कापर लिमिटेड'' - 150.00 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर योजना प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4853'' - ''खनिज अन्वेषण और विकास - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए विविध पूंजीगत व्यय'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं - 108.42 लाख रु. का अधिक व्यय (2.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष 4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) "Mineral Exploration and Development - Other Expenditure - Acquisition of Capital Assets" - saving of Rs.4532.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7361.00 lakhs) was due to reduction of plan provision by the Ministry of Finance at revised estimates stage, non-receipt of bills from Directorate General of Supplies and Disposals and delay in shipment of stores opened through letters of credit.

(B) "Non-Ferrous Metals - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Hindustan Copper Ltd." - saving of Rs.150.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to reduction of plan provision by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

5. The above savings were offset by excess under Major Head "4853" - "Mineral Exploration and Development – Other Expenditure - Miscellaneous Capital Expenditure for North Eastern Areas" – excess of Rs.108.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.